न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई.ए.एस)

<u>अपील संख्या 404/2023</u>

गोविन्द पुत्र मुक्ति लाल पौत्र बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

—:अपीलान्ट:—

बनाम

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
2. सांवरमल पुत्र स्व0 राधेश्याम
3. सुभाष पुत्र स्व0 राधेश्याम
4. महेन्द्र पुत्र स्व0 राधेश्याम
5. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 राधेश्याम
6. मेवा देवी पत्नि स्व0 राधेश्याम

   जाति ब्राहम्ण निवासी मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
7. भवानी शंकर पुत्र बिहारीलाल शर्मा
8. बाबुलाल पुत्र मुक्तिलाल पौत्र बिहारीलाल
9. महेन्द्र पुत्र प्रभूदयाल पौत्र बिहारीलाल
10. अरविन्द पुत्र प्रभुदयाल पौत्र बिहारीलाल
11. शारदा पत्नि प्रभूदयाल पुत्रवधु बिहारीलाल

    समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
12. सीता पुत्री बिहारीलाल
13. संतोष पुत्री मुक्तिलाल पौत्री बिहारीलाल
14. आशा पुत्री मुक्तिलाल पौत्री बिहारीलाल
15. मीना पुत्री प्रभूदयाल पौत्री बिहारीलाल
16. उपपंजीयक श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

न्यायालय संभागीय आयुक्त • सीकर (राज.)

—:रेस्पोडेन्ट्स:—

उपस्थितिः—

1. वकील श्री लोकेन्द्र सिंह अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री सांवरमल चौधरी रेस्पोडेन्ट 2 ता 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—05.01.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना के आदेश दिनांक 15.03.2023 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कि गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है राजस्व ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना में स्थित कृषि पुराना खसरा नं01252 वर्तमान खसरा नं0 2640, 2641, 2643 कुल किता 3 में हिस्सा 1/4 भूमि में से 16 बिस्वा भूमि को विक्रेता

संभागीय आयुक्त
सीकर

बिहारीलाल पुत्र भगताराम जाति ब्राहम्ण निवासी मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना से जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय लेख दिनांक 28.06.1972 को रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 ता 6 के पिता/पति ने खरीद किया था। जिसका नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही करवाया। इसके उपरान्त विक्रेता बिहारीलाल पुत्र भगताराम का स्वर्गवास हो गया। वर्तमान खसरा नम्बरों में मृतक बिहारीलाल की पत्नि मृतका संज्या देवी का हिस्सा 1/16 तथा रेस्पोडेन्ट नं0 14 आशा देवी का हिस्सा 1/64 दर्ज रहा। उपरोक्त खसरा नम्बरो मे उक्त शेष बची भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करवाये जाने हेतु मृतक राधेश्याम पुत्र जयनारायण रेस्पोडेन्ट नं0 2 ता 6 के पिता/पति ने दिनांक 24.01.2023 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र को धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज रजिस्टर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु औपचारिक रूप से नोटिस जारी कर जिनमें तामील की प्रकिया को नही अपनाया जाकर अपीलान्ट के भाई रेस्पोडेन्ट सं0 8 बाबूलाल के हस्ताक्षर नोटिस प्राप्ति के करवाकर व शेष अप्रार्थीगण के नोटिस चस्पानगी करवाया जाकर दिनांक 15.03.2023 को एकपक्षीय आदेश पारित कर उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कि है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अवैध व विधि विरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 24.01.2023 को रेस्पोडेन्टस सं0 2 ता 5 के पिता व रेस्पोडेन्टस सं0 6 के पति ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर को नामान्तरकरण बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें खसरा नं0 1252 रकबा 6 बिघा 13 बिस्वा में हिसा 1/4 में से 16 बिस्वा भूमि को विक्रेता बिहारीलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 28.06.1972 को प्रार्थी द्वारा खरीदना बताया। आज विक्रय लेख को 53 वर्ष हो चूके है लेकिन आज तक नामन्तरकरण नही करवाया गया। वर्ष 1980 में सेटलमेन्ट होने के बावजूद भी प्रार्थी को विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार नही मिले क्योकि विक्रय लेख अवैध है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रार्थना पत्र को धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। लेकिन हितबद्ध पक्षकारों की बिना विधिवत तामिल के प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने बिना विधिक प्रक्रिया के आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ तहसीलदार श्रीमाधोपुर का आदेश दिनांक 15.03.2023 को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जो निर्णय किया है वह विधिक प्रक्रिया से किया गया है। सेटलमेन्ट के समय किसी का खातेदारी के अधिकार नही दिये जाते है। प्रार्थी राधेश्याम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से भूमि खरीदी है। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर विधिसम्मत निर्णया पारित किया है।

संभागीय आयुक्त
सीकर

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्टस सं0 2 ता 5 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं0 6 के पति ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 28.06.1972 के आधार पर नामान्तरकरण करने का प्रस्तुत किया। जिसको तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर गुणावगुण के आधार पर निर्णया पारित किया है। नामान्तरकरण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय लेख की वैधता व अवैधता पर निर्णय का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है। जिसकी वैधता व अवैधता पर निर्णय सक्षम न्यायालय ही कर सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर